कैम्प - कितपाला

APP-A
crim-I

FORM NO. III

2018/01257

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत .... नियम ....

वादीगण पतुराराम बनाम प्रति० पेमाराम

किस्म मुकदमा .... 88 RTA .... नं. 102 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.6.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम कितपाला में पेश हुई, पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण ने लोक अदालत में प्रकरण प्रस्तुत कर कथन किया कि मुल राजस्व गांव वक्त सेटलमेन्ट सिणली चौसिरा वर्तमान राजस्व गांव कतवारी पटवार क्षेत्र सिणली जागिर में मुल ख. सं. 298, 308, 338, 316, 294, 295, 296, 297 कुल रकबा 706 बीघा 06 बिस्वा अवाधित रहा है, तदोपरांत उक्त खसरो के निम्न तरमीमी खसरान बने' ख. नं. 450/298, 456/308, 475/338, 296, 297, 316, 449/298, 455/308, 474/338, 295, 451/298, 453/308, 453/298, 459/308, 454/298, 460/308, 294, 395, 452/298, 458/308 बने' उक्त खसरान हम वादीगण व प्रतिवादीगण के मौके पर कब्जा काश्त के विपरित है, इस कारण हमेशा विवाद की स्थिति रहती है, इसलिए मौके के कब्जा काश्त अनुसार वाद पत्र के पद 2 में वर्णित विवरण अनुसार रेकर्ड दुरस्त कर इस पद में वर्णित भुमियाँ हिस्से में रखते हुए खातेदार घोषित किया जावे' राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कितपाला में सभी पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित आये, और पक्षकारान ने लिखित राजीनामा पेश कर कथन किया कि	

Left margin: LTI रामाराम; LTI हमाराम; पन्नाराम; LTI भाकाराम; LTI मिश्राराम; LTI रूपाराम; जीताराम

Right margin: भुराराम; LTI पुतराराम; ओकाराम; RTI केपो; हिमाराम; जीताराम; LTI पेमाराम; LTI नवलाराम; LTI मालाराम; LTI हेमाराम

(जीताराम मेघवाल)
सरपंच
ग्राम पंचायत कितपाला
प.स. बालोतरा (बाड़मेर) राज

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
सिवाना

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इशारा | अहलकार की तारीख

राजस्व रेकर्ड व नक्शा मे वर्तमान जो स्थिति है
उसकी दुरुस्ती वाद पत्र के पद सं. 2 मे वर्णित अनुसार
यानि वादीगण चुतराराम, भैराराम, अणदराम के पि.
गजाराम के नाम ख. नं. 308, रकबा 21 बीघा कि. बा.दो.
ख. नं. 295 रकबा 02 बिस्वा गै. मु. छाणी, ख. सं. 297 रकबा
2 बीघा गै. मु. रडी, ख. नं. 298 रकबा 4 बीघा बा. दो, ख. सं.
298 रकबा 35.18 बीघा बा. दो, 338 रकबा 33.17 बीघा
बा. दो कुल रकबा 96.17 बीघा, प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 3
व 15 के हिस्से मे ख. सं. 308 रकबा 21 बीघा बा. दो,
297 रकबा 2 बीघा गै. मु. रडी, 298 रकबा 4 बीघा बा. दो,
298 रकबा 36 बीघा बा. दो, 316 रकबा 11.15 बीघा बा. दो.
338 रकबा 22.13 बीघा कुल रकबा 96.18 बीघा, प्रतिवादी
सं. 4, 5, 6 का हिस्सा ख. नं. 308 रकबा 22 बीघा बा. दो;
308 रकबा 44 बीघा बा. दो, 295 रकबा 11 बिस्वा गै. मु. छाणी,
298 रकबा 4 बीघा बा. दो. 298 रकबा 6.06 बीघा बा. दो,
298 रकबा 20 बीघा बा. दो, 298 रकबा 29.03 बीघा बा. दो
कुल रकबा 126 बीघा, प्रतिवादी सं. 7 निम्बाराम के
हिस्से मे ख. नं. 308 रकबा 28 बीघा बा. दो., 308
रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा बा. दो., 296 रकबा 03 बिस्वा
गै. मु. छाणी, 297 रकबा 0.09 बीघा गै. मु. रडी, ख. सं.
298 रकबा 15.10 बीघा बा. दो., 298 रकबा 24.10 बीघा
बा. दो, 298 रकबा 13.10 बीघा बा. दो, 298 रकबा 30.10
बीघा बा. दो. कुल रकबा 126 बीघा, प्रतिवादी सं. 8, 9, [illegible]
रामा, खुमा के हिस्से मे ख. नं. 308 रकबा 24.16 बीघा,
297 रकबा 1 बीघा गै. मु. रडी, 298 रकबा 10 बीघा बा. दो
298 रकबा 24 बीघा बा. दो., 298 रकबा 16 बीघा बा. दो.
298 रकबा 50.04 बीघा बा. दो. कुल रकबा 126 बीघा,
प्रतिवादी सं. 10 ता 14 का हिस्सा ख. नं. 308, रकबा
27 बीघा बा. दो., 295 रकबा 6 बिस्वा गै. मु. छाणी, 297
रकबा 2 बीघा, गै. मु. रडी, 297 रकबा 9.06 बीघा गै. मु. रडी,
298 रकबा 44.08 बीघा, बा. दो., ख. नं. 298 रकबा 43 बीघा
बा. दो., कुल रकबा 126 बीघा, इसी प्रकार वादीगण व
प्रतिवादी सं. 1 ता 14 का सहसंयुक्त हिस्सा निम्न
प्रकार से रहेगा ' ख. नं. 308 रकबा 1.12 बीघा बा.दो.,
ख. न 303 रकबा 08 बिस्वा, ख. नं. 297 रकबा 12 बिस्वा
गै. मु. रडी, 297 रकबा 9 बिस्वा गै. मु. रडी, 298 रकबा
3.13 बीघा बा. दो., 298 रकबा 12 बिस्वा बा. दो, 298
रकबा 06 बिस्वा, 298 रकबा 06 बिस्वा, 298 रकबा
07 बिस्वा, 294 रकबा 06 बिस्वा कुल रकबा 8.11
बीघा रहेगा, इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खतौनी

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
[illegible] कैम्प... [illegible]

Scanned by CamScanner

Orims No. APP-A

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

व नक्शा किस्तवार में अंकित किया जावे, तो हम सभी पक्षकारान सहमत है। नक्शा राजीनामा का भाग रहेगा।

उक्त राजीनामा दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया व समझाया तो पक्षकारान ने राजीनामा सही होना स्वीकार किया, बाद जांच राजीनामा तस्दीक कर शामिल मिसल किया. पक्षकार वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी ने व प्रतिवादीगण की पहचान नंदराम आई. एल. आर. तिलवाड़ा द्वारा की गई।

दोनों पक्षों की साक्ष्य कलमबद्ध की जाकर शामिल मिसल की। चूंकि पक्षकारान ने आपसी सहमति राजीनामा से पैतृक संपति का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार रेकर्ड दुरस्त करते हुए घोषणात्मक अनुतोष चाहा है।

बाद उपरोक्त विवेचन प्रकरण माफिक आपसी राजीनामा स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्याय संगत प्रतीत होने से डिक्री कर वर्तमान रेकर्ड को माफिक राजीनामा वाद-पत्र के पद सं. 02 अनुसार पक्षकारान को खातेदार घोषित कर रेकर्ड दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7.06.2018 को कैम्प राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्रा. पं. कितपाला में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प...... कितपाला

बालोतरा कैम्प.....................

Scanned by CamScanner